संसद के समक्ष अभिभाषण – 15 फरवरी 1954

लोक सभा	–	पहली लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	–	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	–	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	–	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

मैं आज पूरे एक वर्ष के बाद संसद के नये सत्र के लिए आप लोगों का स्वागत करने यहां आया हूं। इस एक वर्ष की अवधि में आपको बहुत-सी गहन समस्याओं और भारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से बहुत-सी समस्याएं अभी भी उसी प्रकार हमारे साथ हैं, किन्तु मेरा विश्वास है आप लोग कह सकते हैं कि गत वर्ष में काफी सफलता मिली है। अविजेय बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाने के मानव के अदम्य उत्साह के प्रतीकस्वरूप एवरेस्ट की अंतिम विजय हुई है। इस महत्वपूर्ण सफलता में एक वीर भारतीय का भी हाथ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुराने भय और तनाव अब भी पहले के समान बने हैं। परन्तु समझौते के प्रयत्न बराबर जारी हैं और मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप तनाव के वातावरण में सुधार होगा और पश्चिम तथा सुदूर पूर्व में भावी समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

भारत, संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध बंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षक सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझायी गयी पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम खत्म कर देगा और अब संरक्षक सेना धीरे-धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निबटारा नहीं

हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में, अथवा कहीं और, इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जायेगा। आप सब की ओर से और मैं अपनी ओर से, कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षक सेना के अफसरों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया।

विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी-कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकातें हुईं। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में कुछ आगे बढ़े थे पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निबटारा नहीं होता, परन्तु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गम्भीर प्रयास है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों, श्रीलंका तथा बर्मा* से, जिनके साथ हमारा भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत् प्रयत्न करती रही है।

पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। मुझे खुशी है कि सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गयी है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो गये हैं। मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूं, जो स्वयंमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंड की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है।

गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नये राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूं और नये राज्य की सफलता की कामना करता हूं। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं, यह कार्य बड़े और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

वस्तुगत रूप से पूर्ण शांतचित्तता के साथ करना है, जिससे कि संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे।

दूसरे संघ के दो राज्यों में, त्रावनकोर-कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में, आजकल आम चुनाव हो रहे हैं। उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारु रूप से नहीं चल सका और नये चुनाव होने तक प्रशासन का कार्य-भार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा।

हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परन्तु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विशेष रूप से सामुदायिक योजनाओं के कार्य में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्रीगणेश अक्तूबर, 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत ही आशाजनक है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोजगारी की समस्या मेरी सरकार के लिए चिन्तन का विषय है। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है।

साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। 1952-53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पचास लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में, विशेषकर सूती कपड़े, कागज, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफी ज्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 में 134 हो गयी जबकि 1952 में वह 129 थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नये कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही हो रही है। जूट और चाय उद्योग, जिन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अब अच्छी स्थिति में हैं।

मेरी सरकार घरेलू उद्योगों की उन्नति को विशेष महत्व देती है। मुझे खेद है कि इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं की जा सकी है। आशा है कि अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के प्रयत्न इस दिशा में निकट भविष्य में ही ठोस कार्य कर सकेंगे।

महान नदी घाटी योजनाओं के संबंध में संतोषजनक प्रगति हुई है और इन योजनाओं में से कुछ पूर्ण भी हो चुकी हैं और इस समय चालू हैं। पांच नयी योजनाएं, अर्थात् कोसी, कोयना, कृष्णा, रिहंड और चम्बल योजनाएं, पंच-वर्षीय योजना में

शामिल कर ली गई हैं। इन योजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन्हें चालू किया जा सके। कोसी योजना के बारे में नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है।

भारत के हवाई यातायात का पुनर्गठन हो चुका है और दो सरकारी निगम, एक भीतरी यातायात के लिए और दूसरा विदेशी यातायात के लिए, स्थापित किये जा चुके हैं। विचार हो रहा है कि विदेशी सर्विसों का विस्तार करके उन्हें सुदूर पूर्व तक ले जाया जाए।

पिछले साल हमने दो युगान्तरकारी घटनाओं को मनाया—जो भारत में रेल व्यवस्था तथा तार-डाक व्यवस्था की शताब्दियां हैं। रेल यातायात में बराबर प्रगति हुई है और रेल के डिब्बों तथा इंजनों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये रेल मार्ग खोलने के लिए निकट भविष्य में कई एक बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जाएगा। डाक और तार संबंधी सुविधाओं का भी, विशेष रूप से देहाती और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, विस्तार किया गया है।

मेरी सरकार घरों की समस्या को महत्वपूर्ण मानती है। विभाजन के बाद से विस्थापित लोगों के लिए घरों पर अभी तक 72 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए घरों के निर्माण के वास्ते ऋण और सरकारी सहायता दी गई है। सस्ते और आकर्षक मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाल में ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ओर बहुतों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

1954-55 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा आपके सम्मुख रखा जाएगा।

संसद के विगत सत्र के बाद सात अध्यादेश प्रवर्तित करने आवश्यक हो गये। इन में से दो का संबंध इन दो मामलों से है जिनके बारे में एक विधेयक अभी विचाराधीन है। इनमें से उन सभी अध्यादेशों पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा, जिन्हें स्थायी विधान का रूप देना आवश्यक होगा।

आपके सम्मुख 28 विधेयक विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। दूसरे विधेयक जिन पर प्रवर समितियां विचार कर रही हैं, उक्त समितियों की सिफारिशों समेत आपके सामने रखे जायेंगे। इन विधेयकों में हिन्दू विधि के सुधार संबंधी विधेयक भी सम्मिलित हैं, जिन्हें मेरी सरकार बड़ा महत्व देती है। संसद के इस सत्र में आपके सम्मुख अन्य विधायी प्रस्ताव भी रखे जायेंगे जिनका संबंध सार्वजनिक कल्याण से है। न्यायालयों के कार्य को गतिशील करने और मुकदमेबाजी के व्यय को घटाने के लिए न्यायिक कार्य प्रणाली में सुधार करने की मेरी सरकार बहुत उत्सुक है।

इस मास के आरम्भ में इलाहाबाद में कुम्भ मेले के समय एक भीषण दुर्घटना घटी। इस अवसर पर यात्रियों का अपूर्व जन-समूह एकत्रित हुआ था। इस विशाल जनसमुदाय की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने संतोषजनक व्यवस्था करने का बड़ा प्रयास किया था। परन्तु अमावस्या के दिन अचानक एक दुर्घटना घटी जिसके कारण बहुत से लोग बेकाबू भीड़ के पांव तले आकर रौंदे गये और मर गये। इस दुखद दुर्घटना से यह शुभ समागम विषादपूर्ण बन गया और हमारे अनेक देशवासियों के लिए शोक का विषय हो गया। आपकी ओर से, मैं अपनी ओर से, दिवंगत आत्माओं के सभी सम्बंधियों को संवेदना तथा सहानुभूति भेजता हूं।

नये वर्ष का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि इसमें जितनी आशा की झलक है उतना ही भय भी दिखाई देता है। शांति स्थापना में प्रगति और तत्संबंधी प्रयत्नों के सफल होने की आशा है। हमें और विश्व को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की आशंका भी है। मानव जाति के लिए इस संकट के समय में हम अपने देश की और समस्त विश्व की सेवा कर सकते हैं यदि हम उन सिद्धान्तों पर अडिग रहें जिन्होंने अतीत में हमारा पथ-प्रदर्शन किया है और यदि हम राष्ट्रपिता के शांति, सहिष्णुता और आत्मविश्वास के संदेश को याद रखें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके कार्यकलाप में यह संदेश आपका पथ आलोकित करेगा।